क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः– दिनांकः–

Ref.No.: G0429/OA NO-92/2024 Date: 03/05/2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- **Submission of Joint Committe Report in pursuant to order dated 02.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 92/2024, Brijesh Singh Versus State of Uttar Pradesh & Ors.**

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 02.04.2024 in the matter of O.A. No. 92/2024, Brijesh Singh Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the compliance status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

03/05/2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई–मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 92/2024

IN THE MATTER OF:

Brijesh Singh … Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. … Respondant(s)

INDEX

S.No.	Description	Pages No.
1.	Joint Committee Report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 02.04.2024 in O.A. No. 92/2024.	3-6
2.	**Annexure-1**, Copy District Administration letter dated 09.04.2024.	7
3.	**Annexure-2**, Copy recommendation letter dated 30.04.2019.	8
4.	**Annexure-3**, Copy of show-cause notice dated 24.05.2019	9
5.	**Annexure-4**, Copy of Closure order dated 14.07.2021.	10
6.	**Annexure-5**, Coompliacne report dated 16.04.2024.	11
7.	**Annexure-6**, Copy of requesting letter dated 02.05.2024.	12
8.	Photographs.	13

FILED BY

03/05/2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
UPPCB
Sonbhadra

Joint Committee Report in pursuant to order dated 02.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 92/2024, Brijesh Singh versus State of Uttar Pradesh & Ors.

1. That Hon'ble NGT has constituted a joint committee vide its Order dated 02.04.2024 in Original Application No. 92/2024, Brijesh Singh Versus State of Uttar Pradesh & Ors. and directed joint committee for verifying the factual position and suggest appropriate remedial action. The operative part of the order is reproduced as below: -

   "7……….. That a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of UPPCB and District Magistrate, Mirzapur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

   8. Factual and Action taken Report by the Joint Committee and reply/response by the respondents be filed by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

   9. List for further consideration on 10.05.2024.

2. That it is submitted that in compliance of Hon'ble NGT directions, the Joint Committee was constituted by District Administration, Mirzapur vide Letter dated 09.04.2024 (Annexure-1). The members of Joint Committee are as follows:-
   a. Sub Divisional Magistrate, Chunar, Mirzapur.
   b. Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Sonbhadra.
   c. District Mining Officer, Mirzapur.

3. That the Committee members discussed and decided a date for carrying out field visit. The joint committee conducted the site visit on dated 16.04.2024 of M/s Shagun Ent Udhyog, Village-Bharehntha, Tehsil- Chunar District-Mirzapur for reviewing the factual status of the grievances made by the complainant/ applicant.
4. That the following issues were raised by the applicant in his application:-

   "...........complained about illegal operation of M/s Shagun Int Udyog at Janpad Mirzapur Tehsil Chunar, Pargana Haweli village-Bharehta in violation of closure order dated 02.05.20219 issued by UPPCB in compliance of order dated 05.04.2019 passed by Hon'ble Allahabad High Court in Writ Petition no. 5730/2019 and environmental norms causing damage to environment. Environmental Compensation of Rs. 64,06,250/- was imposed on the brick kiln by UPPCB but the same has not been recovered so far......"
5. Field Observations of the committee:

   I. M/s Shagun Int Udhyog, Village-Bharehntha, Tehsil-Chunar and District-Mirzapur was not found operational. Although, raw brick filling work found in progress. The brick kiln is engaged in production of bricks as main product using soil and water as raw material.

   II. The brick kiln has not obtained 'Consent to Operate' (CTO) form UPPCB. No document regarding CTE or CTO issued by UPPCB was presented by the representative of brick kiln during site visit.

III. The monitoring of gaseous emission could not be done due to non-firing in brick kiln at the time of visit. The gravitational settling chambers as pollution control system could not be verified due to raw brick filling work.

IV. During visit, the joint committee has stopped the operation of raw brick filling by pouring water through water tanker on raw bricks.

V. Photographs are as follows:-

6. That UPPCB had issued show-cause notice against the brick kiln under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-24.05.2019 as per recommendation made by Regional Officer, Sonbhadra sent vide letter dated-30.04.2019. The copies of letter dated 30.04.2019 and 24.05.2019 are attached herewith and marked as Annexures No.-2 and 3.

7. That UPPCB had been issued closure order against the brick kiln under section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-14.07.2021 (Annexures No.-4).

8. That during visit, the joint committee has stopped the operation of raw brick filling by pouring water through water tanker on raw bricks in compliance of closure order dated 14.07.2021. The compliance report of closure is attached herewith and marked as Annexure-5.
9. That it is submitted that UPPCB has also requested to C.O. (Police), Chunar Mirzapur vide letter dated-02.05.2024 for ensuring the compliance of closure order issued against the brick kiln. Copy of the letter dated 02.05.2024 is attached herewith and marked as Annexure No-6

Conclusion:

The brick kiln namely M/s Shagun Int Udhyog, Village-Bharehntha, Tehsil-Chunar and District-Mirzapur has not obtained valid 'Consent to Operate' (CTO) form UPPCB. UPPCB had issued closure order against the brick kiln under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-14.07.2021. For ensuring the compliance of closure order, the Joint Committee constituted by District Administration, Mirzapur vide Letter dated 09.04.2024 has stopped the operation of raw brick filling by pouring water on raw bricks through water tanker. UPPCB has also requested to Circle Officer (Police), Chunar Mirzapur vide letter dated-02.05.2024 for ensuring the compliance of closure order issued against the brick kiln.

The above Joint Committee Report is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

02/05/2024	02/5/24	02/05/2024
(U.K. Gupta)	(Jitendra Singh)	(Rajesh Kumar Verma)
Regional Officer	Mining Officer	SDM, Chunar
UPPCB,	Mirzapur.	Mirzapur
Sonbhadra		

Annexure-1

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 91 /एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 9 / 4 /2024

आदेश

मे0 शगुन ईट उद्योग ग्राम भरहेटा, परगना हवेली तहसील चुनार जनपद मीरजापुर प्रो0 श्री रमेश सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह नि0 ग्राम बसारतपुर, पो0 अदलपुरा तहसील चुनार जिला मीरजापुर द्वारा जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भरहेटा के गाटा सं0 715 में ईट भट्ठा स्थापित किया गया है। उक्त ईट भट्ठा संचालन के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 92/2024 बृजेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 02.04.2024 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

7. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of UPPCB and District Magistrate, Mirzapur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में उक्त ईट भट्ठा की जॉच हेतु निम्नवत् जॉच टीम का गठन किया जाता है :–

1. उपजिलाधिकारी चुनार, मीरजापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र (नोडल एजेन्सी)
3. खान अधिकारी, मीरजापुर।

अतः जॉच टीम को निर्देशित किया जाता है कि मे0 शगुन ईट उद्योग प्रो0 श्री रमेश सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह द्वारा जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भरहेटा के गाटा सं0 715 में स्थापित ईट भट्ठा की स्थलीय/अभिलेखीय जॉच कर जॉच आख्या 03 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे में ससमय मा0 अधिकरण के समक्ष आख्या प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. गठित समिति को अनुपालनार्थ।
5. मे0 शगुन ईट उद्योग ग्राम भरहेटा, परगना हवेली तहसील चुनार जनपद मीरजापुर प्रो0 श्री रमेश सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह नि0 ग्राम बसारतपुर, पो0 अदलपुरा तहसील चुनार जिला मीरजापुर।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

सन्दर्भ सं0
Ref. No. 112650/शगुन/2019

दिनांक
Date 13/05/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः– मेसर्स शगुन ईंट–उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहंठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस/बन्दी आदेश की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि उक्त ईंट–भट्ठे का निरीक्षण कार्यालय द्वारा दिनांक–08.05.2019 को किया गया, निरीक्षण आख्या मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार, उक्त ईंट–भट्ठा ग्राम व पोस्ट–भरेहंठा, तह0–चुनार, जनपद–मीरजापुर में स्थापित एवं संचालित है। ईंट–भट्ठे से सम्बद्ध चिमनी पर पोर्टहोल प्लेटफार्म तथा सीढ़ी की समुचित व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिस कारण गैसीय उत्सर्जन के अनुश्रवण का कार्य नहीं किया जा सका। ईंट–भट्ठे को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। ईंट–भट्ठे को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अनुपालनार्थ इस कार्यालय के पत्र सं0–112547/शगुन/2019 दिनांक–30.04.2019 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र दिनांक–30.04.2019 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ईंट–भट्ठे का प्रतिउत्तर अब तक अप्राप्त है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में ईंट–भट्ठे द्वारा राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये ईंट–भट्ठे का संचालन किये जाने तथा ईंट–भट्ठे द्वारा कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुपालन में ईंट–भट्ठा का प्रतिउत्तर कार्यालय में अप्राप्त होने से परिलक्षित होता है कि उक्त ईंट–भट्ठे द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों का जानबूझ कर उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः उक्त ईंट–भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 (ए) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(राधेश्याम) 13/5/19
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय– म0सं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज–सोनभद्र (231216)
फोन नं0– 05444–222464
फैक्स नं0– 05444–222464
ई–मेल– rosonbhadra@uppcb.com

Office H. N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra (231216)
Phone No. : 05444-222464
Fax No. : 05444-222464
E-mail Id : rosonbhadra@uppcb.com

31

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No 113622 /सी-2/ईट भट्ठा-63/क्षे०अ०-सो०/19 दिनांक Date 24-5-19

30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-सोनभद्र
डायरी नं0- 1785
प्राप्ति का दिनांक
हस्ताक्षर

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स शगुन ईट उद्योग,
ग्राम व पोस्ट–भरेहंठा, तहसील–चुनार,
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि **मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहंठा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि आपके उद्योग का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 08.05.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग राज्य बोर्ड से बिना पूर्व सहमति प्राप्त किये संचालित है। निरीक्षण के समय ईट–भट्ठे से सम्बद्ध चिमनी पर पोर्टहोल प्लेटफार्म तथा सीढ़ी की समुचित व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। ईट भट्ठे को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अनुपालनार्थ क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 30.04.2019 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था जिसका प्रतिउत्तर ईट भट्ठे द्वारा बोर्ड को प्रेषित नही किया गया है।

इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0 112650/शगुन/2019 दिनांक 13.05.2019 द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार **कारण बताओ नोटिस** जारी किया जाता हैं कि:–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहंठा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर** की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए ।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा ।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त

(टी0 यू0 खान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

MA ... 17/6/19

........../2–

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Annexure-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H63440/सी–2/सा0–558/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/मिर्जापुर/2021 ***Date- 14.07.2021***

पंजीकृत

M/s Shagun Ent Udyog,
Bharehata, Chunar, Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मिर्जापुर की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मिर्जापुर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Annexure-5

मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच.63440/सी–2/सा0–558/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/मिर्जापुर/20221 दिनांक–14.07.2021 द्वारा जारी बन्दी आदेश की अनुपालन आख्या।

उक्त विषयक मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर को जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु जिला प्रशासन की उपस्थिति में उक्त ईंट–भट्ठे के संचालन को तात्कालिक प्रभाव से बन्द किया जाता है। मौके पर वॉटर टैंकर के माध्यम से फुकाई कार्य बन्द कराया गया। अग्रेतर बन्दी का अनुपालन रखे जाने एवं संचालन बन्द होने की सतत् निगरानी हेतु प्रभारी निरीक्षक, थाना–चुनार, को सुपुर्दगी दी जाती है। आज दिनांक– 16-04-24को बन्दी की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

उक्त बन्दी आदेश की अनुपालन आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/04/24
(के० के० मौर्य)
वैज्ञानिक सहायक
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
सोनभद्र

16/04/2024
(राजेश कुमार वर्मा)
रा० स० डी० एम
चुनार, मिर्जापुर

गवाहः– उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षरः–

क्र0सं0	नाम	हस्ताक्षर
1.	राजेश कुमार सिंह	[signature]
2.	रमेश कुमार सिंह	[signature]
3.		

Annexure-6

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

संदर्भ संख्या / Ref. No G0428/C-772/MZP/2024 दिनांकः 02/05/2024

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी (पुलिस)
तहसील–चुनार,
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः– मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट भरेहठा, तहसील–चुनार, मिर्जापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 63440 / सी–2 / सा0–558 / ईंट भट्ठा / बन्दी आदेश / मिर्जापुर / 2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय राज्य बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–14.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त बन्दी आदेश प्रश्नगत ईंट भट्ठे को सम्बोधित है एवं जिलाधिकारी महोदय, मिर्जापुर, पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–303 / 81–7–2021–39(पर्या) / 2014–टी0सी0–1 दिनांक–15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या–582 / 81–7–2021–39(पर्या) / 2014–टी0सी0–1 दिनांक–08.07.2021 के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध के साथ पृष्ठांकित है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक–15.03.2021 एवं दिनांक–08.07.2021 के अनुक्रम में उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तत्सम्बन्धी को निर्देशित करना चाहें।

भवदीय,

02/05/2024
(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महादेय, मिर्जापुर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप जिलाधिकारी, तहसील–चुनार, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित की राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 63440 / सी–2 / सा0–558 / ईंट भट्ठा / बन्दी आदेश / मिर्जापुर / 2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

02/05/2024
क्षेत्रीय अधिकारी

F:\\IGRS LETTER.

35 Photograph

M/s Shagun Ent Udyog, Village Bharehatha, Tehsil Chunar, Mirzapur